आवश्यक /महत्वपूर्ण

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या -
पत्रसंख्या-फार्म अनु0 -(555)/2009-10/आ0 घो0 पत्र (फार्म -38) /1308/ 0910089 /वाणिज्य कर .
कार्यालय कमिश्नर ,वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(फार्म अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 15 फरवरी, 2010

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर नियमावली 2008 के नियम -54 के उपनियम -(1) (क) में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुऐ मैं कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश आयात हेतु घोषणा पत्र (फार्म -38) के सम्बन्ध में एतद्‌द्वारा घोषणा करता हूँ व आदेश देता हूँ कि :-

1. फार्मो का मुद्रण सिक्योरिटी फीचर्स सहित 70 जी0एस0एम0 के मैपलिथों पेपर पर किया गया है। फार्मो का आकार 40 से0मी0 X 29.5 से0मी0 होगा। फार्म -38 पर क्रमांक - 07 डिजिट के होगें तथा फार्म-38 पर नई सीरीज बी0बी0 अंकित की गयी है , में निम्नलिखित विशेषतायें है :-

(क) फार्मो का मुद्रण उत्तर प्रदेश सरकार वाणिज्य कर विभाग की वृत्ताकार जलांकित सीलयुक्त पेपर पर किया गया है।

(ख) फार्म दो प्रतियों (मूल व द्वितीय प्रति) में मुद्रित किया गया है।

(ग) पेपर में अदृश्य तार डला हुआ है जो यू0वी0 प्रकाश में नजर आयेगा।

(घ) फार्म में प्रिन्टिंग सिक्योरिटी चेक पैटर्न डला हुआ है।

(ड) फार्म का मुख पृष्ठ चार कलर में तथा अन्त: पृष्ठ एक कलर में छपा हुआ है।

(च) फार्म का अन्त: पृष्ठ ऑरेंज फ्लोरासेन्ट इंक में छपा हुआ है जो यू0वी0 प्रकाश में चमकेगा और फोटो कापी कराने पर कलर बदल जायेगा।

(छ) फार्मो में विशिष्ट प्रकार का सात अंको का नम्बर बाक्स की व्यवस्था की गयी है।

(ज) फार्मो की छपाई में स्पेशल ब्लीड इंक का प्रयोग हुआ है जो केमिकल लगाने से उतर जायेगा।

(झ) मूल प्रति के दाहिने तरफ दिये गये बाक्स जिनकी संख्या -36 है उनके अंदर डार्क पिंक कलर में सिक्योरिटी ग्राऊन्ड के ऊपर काले रंग में अक्षर व स्टार तथा गिनती छापी गयी है।

(ट) फार्म में हल्के ग्रीन तथा पिंक कलर की पट्टी छापी गयी है।

(ठ) फार्मो की पट्टी पर "वाणिज्य कर विभाग उ0प्र0 " लगातार छापा गया है।

(ड) फार्म के बीचो बीच उत्तर प्रदेश सरकार वाणिज्य कर विभाग की सील हल्के पिंक कलर में छापी गयी है।

(ढ) फार्म के सिक्योरिटी ग्राऊन्ड पर ब्लैक कलर में मैटर छापा गया है।

(ण) आयात हेतु घोषणा पत्र की द्वितीय प्रति के बायीं तरफ "स्टार तथा जो लागू न हो उसे काट दिया जाये (X) घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का फर्म से सम्बन्ध (अर्थात स्वामी /भागीदार/ निदेशक ,प्रबन्धक इत्यादि) निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।" छापा गया है।

2. इस फार्म का प्रचलन तत्कालिक प्रभाव से दिनांक 11-02-2010 से वैध होगा।

3. सीरीज संख्या बी0बी0 के आयात हेतु घोषणा पत्रों का दिनांक 11-02-2010 से प्रचलन के बावजूद कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सीरीज संख्या- ए0ए0 के आयात हेतु घोषणा पत्र पहले वितरित किये जायेगें तथा उनके समाप्त होने के बाद हीं कर निर्धारण अधिकारी नई सीरीज- बी0बी0 के आयात हेतु घोषणा पत्रों का वितरण व्यापारियों को करेगें।

4. सीरीज संख्या -ए0ए0 आयात हेतु घोषणा पत्र अग्रिम आदेशों तक पूर्ववत प्रचलित रहेंगे।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर,वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

पृ0 पत्र संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अधीक्षक ,मुद्रण एवं लेखन सामग्री इलाहाबाद को दो प्रतियों में इस आशय से कि कृपया इसे उत्तर प्रदेश गजट (साधारण) के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण ,उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि दिनांक 08-03-2010 को आने वाले विशेष वाहक के माध्यम से मुख्यालय को यह अवगत कराना सुनिश्चित करें कि दिनांक 28-02-2010 तक सीरीज संख्या- ए0ए0के कितने आयात के लिए घोषणा पत्र संभागों /खण्डों /मण्डलों/उपमण्डलों की सूचना शामिल करके बच गये है, जो व्यापारियों को अभी वितरित नहीं हुए हैं । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते है कि नई सीरीज- बी0बी0 के आयात हेतु घोषणा पत्रों का वितरण करने से पूर्व सीरीज संख्या- ए0ए0आयात हेतु घोषणा पत्र व्यापारियों को पूर्ववत अग्रिम आदेशों तक वितरित किये जायेगें ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील/वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)असिस्टेन्ट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी /खण्ड / मण्डल/उपमण्डल उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ की व्यापारियों को नई सीरीज के आयात हेतु घोषणा पत्र जारी करते समय मुख्यालय के परिपत्र संख्या फार्म -31-91/92-फार्म 32/मुद्रण /865/वि0क0वि0 2/11/91 का अनुपालन सुनिश्चित करें ।
6. समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रवर्तन/स0के0/राज0प्रति0/उ0न्याय0कार्य0/सर्वोच्य न्या0कार्य0/निबन्धक वाणिज्य कर अधिकरण)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर ,वाणिज्य कर, वाणिज्य कर अधिकारी ,सहायता केन्द्र /सचल दल /वि0अनु0शा0/प्र0/संग्रह/राज्य0प्रतिनिधि/उच्च न्यायालय कार्य/ सर्वोच्य न्यायालय कार्य /वैयक्तिक सहायक, उत्तर प्रदेश ।
8. संयुक्त सचिव ,उत्तर प्रदेश शासन (वित्त)वाणिज्य कर अनुभाग -2,सचिवालय लखनऊ को चार -प्रतियॉं ।
9. समस्त परिक्षेत्रीय आन्तरिक सम्परीक्षा दल ,उत्तर प्रदेश ।
10. महालेखाकार ,उत्तर प्रदेश 17-ए अशोक नगर ,इलाहाबाद ।
11. संयुक्त निदेशक ,प्रशिक्षण संस्थान गोमती नगर लखनऊ (छः प्रतियों में)।
12. मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी ।
13. मैनुअल /विधि /नई इकाई /वैट अनुभाग को पॉच -पॉच प्रतियॉं ।
14. वाणिज्य कर (जन संपर्क अधिकारी/जनसूचना)मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियॉं ।
15. आयात हेतु घोषणा पत्र अनुभाग हेतु 50 अतिरिक्त प्रतियॉं ।
16. समस्त चैम्बर ऑफ कामर्स /प्रमुख व्यापारी संघ /व्यापारी अधिवक्ता संघ उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि वे इस विज्ञप्ति की सूचना अपने समस्त सदस्यों को देने का कष्ट करें ।
17. ऑल इंडिया मोटर्स ट्रासपोर्ट कांग्रेस ,16-ए ऑफिस अली रोड नई दिल्ली ।
18. श्री मनीष शर्मा , ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस ,आर0 -15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
19. श्रीमती इन्दु मिश्रा , इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर, गाजियाबाद ।
20. सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियॉं ।
21. पी0एस0 जैन अधिवक्ता संदस्य ,उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय वाणिज्य कर सलाहकार समिति ए -138 सेक्टर -27 नोएडा ।

(पी0 सी0 तिवारी)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (फार्म)वाणिज्य कर ,
मुख्यालय,लखनऊ ।